न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 02 / 2023

प्रार्थी

काछौली मुस्लिम समाज एवं काछौली कब्रिस्तान जरिए सदर हाजी मोहम्मद सफीर पुत्र श्री मंजूर भाई मेमन जाति मुसलमान निवासी काछौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री संजय पुत्र स्व. श्री भोमाजी जाति पुरोहित निवासी काछौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्रीमती मेवाबेन पुत्री स्व. श्री भोमाजी पत्नि श्री भोपालिंगजी जाति पुरोहित निवासी नानरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री छगनलाल पुत्र श्री हीराजी जाति बेडा कुम्हार निवासी काछौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्रीमती संगीता पत्नि श्री जयेश कुमार पटेल जाति पटेल निवासी कब्रिस्तान के पास काछौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अशोक पुरोहित अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से।
3. श्री राजेन्द्र पुरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या चार की ओर से।
4. पेरोकार सरकार।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

निर्णय

दिनांक 10.01.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा काछौली पटवार हल्का काछौली, तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 720 रकबा 2.09 बीघा किस्म भूमि नहरी–1 आई हुई है जो उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा अप्रार्थी के नाम आवंटन की गई है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित द्वारा एवं अप्रार्थी संख्या चार से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया एवं अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:32:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि मौजा काछौली, पटवार हल्का काछौली, तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 720 रकबा 2.09 बीघा किस्म भूमि नहरी–1 आई हुई है। यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि को गलत रूप से अनाधिकृत सरकारी भूमि मानतें हुए सहायक कलेक्टर सिरोही द्वारा दिनांक 10.02.1983 को भोमा पुत्र चेनाजी पुरोहीत के नाम आवंटन का आदेश पारित किया एवं उक्त आदेश की पालना में बिना कोई जांच किये एवं मौके पर कब्जा नही होने के उपरान्त भी गलत रूप से नामांतरकरण संख्या 202 भोमा पुत्र चेनाजी के नाम गैर–खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया एवं नामांतरकरण संख्या 329 दिनांक 14.09.1989 के जरिये खातेदारी दे दी गई। आवंटी भोमा पुत्र चेनाजी का देहावसान हो गया है जिससे उनके वारिसान व कायम मुकाम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पक्षकार बना कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि स्व. श्री भोमा पुत्र चेनाजी पुरोहीत ने यह जानते बुझते की उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 720 पर उसका किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं है, केवल राजस्व कर्मचारियों व अधिकारीयो से मेल मिलाप कर रेकर्ड में गलत रूप से उसके नाम खातेदारी का इंद्राज हो जाने से उसका गलत रूप से फायदा उठाते हुए उसका एक विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या तीन श्री छगनलाल पुत्र हीरा जाति बौडा कुम्हार के नाम से निष्पादित करवा दिया एवं उस विक्रय विलेख के आधार पर रेकर्ड में नामांतरकरण संख्या 346 दिनांक 22.08.1991 के बिना कोई जांच पडताल किये व कब्जे के अभाव में अप्रार्थी संख्या तीन के पक्ष में पारित कर दिया। यह कि अप्रार्थी संख्या तीन ने भी यह जानते बुझते की खसरा संख्या 720 के किसी भी भाग पर उसका कब्जा नही है एवं केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में उसके नाम खातेदारी की प्रविष्ठी है, उसके आधार पर छगनलाल ने भी एक विकय विलेख अप्रार्थी संख्या चार संगीता पत्नि जयेश कुमार पटेल के नाम निष्पादित करवा दिया, उस विक्रय विलेख के आधार पर रेकर्ड में नामांतरकरण संख्या 348 दिनांक 18.12.1991 के बिना कोई जांच पडताल किये व कब्जे के अभाव में अप्रार्थी संख्या चार संगीता के पक्ष में पारित कर दिया। यह कि प्रार्थी मुस्लिम समाज काछौली एवं काछौली कब्रिस्तान का वर्तमान में सदर है गांव काछौली में मुस्लिम समाज पिछले लगभग 200 वर्षो से भी अधिक समय से निवासरत है एवं मुस्लिम समाज के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उसको काछौली कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। उक्त कब्रिस्तान पिछले 200 वर्षो से उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 720 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा में बना हुआ है तथा पतरों का मुख्य गेट लगा हुआ है एवं जिसके चारो ओर सुरक्षा हेतु बाड व तारबंदी की हुई है तथा उक्त कब्रिस्तान में काफी पुराने कदीम से पेड खडे है तथा वहां पर जिन लोगो को दफनाया गया है वहां पर मजार व काफी पत्थर डाल रखे है इस प्रकार उक्त भूमि का उपयोग कदीम से कब्रिस्तान के रूप में मुस्लिम समाज काछौली द्वारा लिया जा रहा है। यह कि उपरोक्त तथ्यों को जानते बुझते गलत रूप से रिपोर्ट कर आवंटी श्री भोमा पुत्र चेनाजी पुरोहीत ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारीयों से मेल मिलाप कर उक्त कब्रिस्तान वाली भूमि का कब्जा नही होते हुए भी गलत रूप से आवंटन दिनांक 10.02.1983 को करवाया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उ[illegible] आदेश की तारिख 10.02.1983 अंकित की है जबकि सहायक [illegible] के नीचे तारिख 19.02.1983 अंकित की है जिससे भी यह आदेश [illegible] आदेश की श्रेणी में आता है जिससे भी यह आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है [illegible] कि उक्त आवंटन आदेश में आवंटन की शर्त पद संख्या 7(1) में यह अंकित है की आवंटन 10 वर्षो की कालावधि के पर्यवसान के पश्चात अंततः खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के अधिकार सहित गैर खातेदारी टिनेंसी पर होगा तथा आवंटन आदेश की शर्त संख्या 7(5) में मौके पर आवंटी का कब्जा होना तथा उसके द्वारा लगातार खेती करना आवश्यक है। ऐसा नही करने पर राज्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:52:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

सरकार द्वारा भूमि पुनर्ग्रहित की जायेगी। इन शर्त अनुसार भी उपरोक्त वर्णित भूमि के किसी भी भाग पर आवंटी का कब्जा नही रहा तथा आदेश अनुसार भी अगर 10.02.1983 को आवंटन माना जाता है तो 10 वर्ष 09.02.1993 को होते है लेकिन यहां आवंटी को केवल साढे छः वर्ष में ही दिनांक 14.09.1989 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये एवं आवंटी ने 10 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने के पूर्व ही उपरोक्त वर्णित आराजी को अप्रार्थी संख्या तीन को बेचान भी कर दिया एवं उसके नाम 22.08.1991 को नामांतरकरण भी पारित हो गया एवं अप्रार्थी संख्या तीन ने भी उक्त आराजी को अप्रार्थी संख्या चार को बेचान कर दिया एवं उसका नामांतरकरण भी दिनांक 18.12.1991 को पारित करवा दिया इस प्रकार उक्त आवंटन आदेश में अंकित किसी.भी शर्त की पालना नहीं की गई है जिससे भी उक्त आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा उसके पश्चात की राजस्व रेकर्ड में की गई समस्त प्रविष्टीयां शुन्य एवं बातिल दस्तावेज है। यह कि खसरा संख्या 720 के लगते अन्य खसरा संख्या 721, 722 व 723 की 2 बीघा 3 विस्वा कृषि भूमि भी अप्रार्थी संख्या चार ने खरीद कर रखी है एवं अब राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से उक्त आवंटन आदेश की आड में अब अप्रार्थी संख्या चार के नाम खातेदारी होने से वह उसका गलत रूप से फायदा उठाने के बदईरादे से प्रार्थी के कब्जे में दखल अंदाजी देने की धमकियां देने लगी, तब प्रार्थी ने इस संबंध में राजस्व रेकड की नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन किये एवं नकले प्राप्त की तथा आवंटन आदेश की प्रति दिनांक 07.11.2022 को प्राप्त हुई जिस पर सर्वप्रथम उक्त आवंटन आदेश की जानकारी हुई। यह कि प्रार्थी काछौली मुस्लिम समाज की इस कब्रिस्तान भूमि के अलावा कब्रिस्तान के लिये अन्य कोई भूमि गांव काछौली में नही है तथा खसरा संख्या 720 की भूमि कदीम से अर्थात पिछले 200 वर्षों से भी पूर्व से प्रार्थी काछौली मुस्लिग समाज का कब्जा लगातार बिना किसी रोक टोक के अप्रार्थीगण की व उनके पूर्व रसाधिकारीयों की जानकारी में कब्रिस्तान के रूप में चला आ रहा है उक्त भूमि पर पिछले 200 वर्षों में कभी भी काश्त नही हुई है एवं मुस्लिम समाज काछौली के व्यक्तियों की मृत्यु पश्चात उनको खसरा संख्या 720 की भूमि में दफनाया गया है जिनकी मजार आज भी खसरा संख्या 720 की भूमि पर बनी हुई है तथा कदीम से पुराने पेड खडे है। इस प्रकार पिछले 200 वर्षों से भी अधिक समय से उपरोक्त वर्णित भूमि का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में किया जा रहा है इस प्रकार उक्त आवंटन आदेश शुरूआत से ही कानुनन शुन्य व बातिल दस्तावेज है तथा ऐसे दस्तावेज से अप्रार्थी संख्या एक से चार को कानुनन कोई हक अधिकार पैदा नही हाते है जिससे उक्त आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या एक व दो के पूर्व रसाधिकारी भोमा पुत्र चेनाजी पुरोहीत निवासी काछौली के पक्ष में मौजा काछौली में स्थित खसरा संख्या 720 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा का आवंटन आदेश दिनांक 10.02.1983/19.02.1983 को निरस्त करने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से श्री अशोक पुरोहित द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि विवादित भूमि ग्राम काछौली में आई हुई है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता श्री भोमाजी पुत्र श्री चेनाजी पुरोहित को विधिक प्रावधानों के तहत् सहायक कलेक्टर सिरोही द्वारा दिनांक 10.02.1983 को आवंटन आदेश जारी किया था एवम् नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 202 भोमा पुत्र चेनाजी के नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज कर नामान्तकरण संख्या 329 दिनांक 14.09.1989 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता श्री भोमाजी पुरोहित ने स्वयं के कब्जे अधिकार एवं स्वामित्व की भूमि का बैचान नियमानुसार अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:32:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

संख्या तीन को किया था। यह कि प्रार्थी अजनबी व बाहरी व्यक्ति है एवं उसको इस भूमि पर किसी तरह का कोई विधिक हक अधिकार सृजित नही होते है। अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता को राजस्व अधिकारियों ने नियमानुसार गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे। इसमें किसी तरह की कोई अनियमितता या अविधिकता कारित नहीं हुई है। यह कि इस भूमि पर करीब 400–500 वर्ष पूर्व से एक प्राचीन मंदिर क्षेमकरी माता मंदिर स्थित है, उक्त प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता व समाज वालों ने मिलकर करवाया था। इस मंदिर के चारों ओर सुरक्षा हेतु एक बाउण्ड्री वॉल भी बनी हुई है जो मौके पर आबाद है। जहाँ गाँव के समाज के लोग मंदिर में पूजा अर्चना व आने जाने वालों की सेवा चाकरी करते है। इस मंदिर में अप्रार्थीगण के पूर्वजों की एक डेरली भी बनी हुई है। जिसकी भी सार–सम्भाल अप्रार्थीगण व उनके कुटुम्बजन करते है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि बाद सुनवाई पक्षकारान् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज कराना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या चार की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपुरी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी मौजा ग्राम काछोली पटवार हल्का काछोली में खसरा संख्या 720 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कृषि आराजी अप्रार्थी संख्या चार संगीतादेवी के नाम से खातेदारी की आई हुई है और उक्त कृषि आराज़ी के लगते खसरा संख्या 721, 722, 723 की कृषि आराजी भी अप्रार्थी संख्या चार की खातेदारी की कृषि आराजी हैं उक्त कृषि आराजी पर अप्रार्थी संख्या चार का पक्का कुंआ खुदा हुआ है एवं लाईट का कनेक्शन लिया हुआ है एवं पक्का मकान बनाया हुआ है एवं मौके पर काबिज है। यह है कि प्रार्थी का वादग्रस्त कृषि आराजी से कतई संबंध नहीं है एवं उक्त कृषि आराजी कब्रिस्तान की भूमि नहीं है एवं न ही प्रार्थी का कोई अस्तित्व ही है एवं प्रार्थी एक अजनबी व्यक्ति हैं जिसे उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही नहीं है एवं उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। खसरा संख्या 720 राजकीय बिलानाम भूमि होने से दिनांक 10.02.1983 को सम्पूर्ण जाँच करने के पश्चात् आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ हेतु उक्त भूमि आवंटन की गई एवं आवंटन के पश्चात् मौके पर कब्जा सुपूर्द किया एवं गैर खातेदारी के रूप में नामान्तरकरण संख्या 202 श्री भोमा पुत्र वेनाजी पुरोहित के नाम दर्ज किया एवं तत्पश्चात् विधिवत् रूप से नामान्तरकरण संख्या 329 दिनांक 14.09.1989 को खातेदारी दर्ज की गई एवं भोमा की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान के नाम अप्रार्थी संख्या एक व दो के नाम खातेदारी दर्ज की गई। यह है कि श्री भोमा पुत्र वेनाजी पुरोहित को खसरा संख्या 720 का विधिवत् रूप से रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा की कृषि आराजी का विधिवत् रूप से आवंटन किया गया एवं आवंटन के पश्चात् खातेदारी दर्ज की एवं खातेदारी के पश्चात् अप्रार्थी संख्या तीन को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिए प्रतिफल राशि प्राप्त करके कृषि भूमि का बेचान किया गया जिसका राजस्व रेकर्ड में भी इन्द्राज किया हुआ है। प्रार्थी ने सरासर गलत आरोप लगाते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो [illegible] ही परिपोषणीय नहीं है। यह है कि प्रार्थी द्वारा मुस्लिम समाज काछोली होना [illegible] पत्र प्रस्तुत किया हैं जबकि 200 वर्ष पूर्व मुस्लिम समाज का [illegible] नही उक्त संस्था रजिस्टर्ड संस्था हैं केवल मात्र फर्जी तरीके से उक्त कृषि आराजी को हड़प करने की बदनियति से गलत कथन करके यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि उक्त भूमि न तो कभी कब्रिस्तान की भूमि रही है एवं न ही कभी कब्रिस्तान का कोई अस्तित्व ही रहा है। बल्कि हकीकत यह है कि अप्रार्थी संख्या चार ने अपने पति के साथ सन् 2000 में लन्दन विदेश जाने से उनकी गैर हाजरी का फायदा उठाकर गलत रूप से खसरा संख्या 720 के कुछ भाग पर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:52:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अवैध रूप से अतिक्रमण प्रार्थी द्वारा अवश्य किया है जिसके विरूद्ध अलग से कानूनी कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी मात्र एक अतिक्रमी है उससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नही है एवं अतिक्रमी को खातेदारी कृषि आराजी पर अवैध रूप से कब्जा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है एवं न ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार ही है। यह है कि उक्त खसरा संख्या 720 की कृषि आराजी को आवंटन हुए 40 वर्ष से ज्यादा की अवधि गुजर चुकी हैं जिसकी जानकारी स्वयं प्रार्थी को हैं एवं प्रार्थी का उक्त कृषि आराजी से कतई संबंध नहीं है। यह है कि खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात् किसी आवंटन को कानूनन खारिज नहीं किया जा सकता है एवं खातेदारी आवंटन मिलने पर उस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होता है ,न की भू–राजस्व अधिनियम लागू होता है। ऐसी स्थिति में खातेदारी मिलने के पश्चात् किसी खातेदारी की कृषि आराजी को इस प्रार्थना पत्र के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता है एवं आवंटी द्वारा पूर्ण शर्तों की पालना कर विधिवत् रूप से खातेदारी प्राप्त की है। यह है कि प्रार्थी द्वारा आवंटन को निरस्त कराने हेतु 40 वर्ष की इतनी लम्बी अवधि गुजरने के बाद प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कानूनन परिपोषणीय नहीं है। यह कि अप्रार्थी संख्या चार ने खसरा संख्या 720 वर्ष 1991 में प्रतिफल राशि अदा करके श्री छगनलाल पुत्र हिराजी से रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये भूमि खरीद की है एवं खरीद किए हुए भी 32 वर्ष की अवधि गुजर चुकी है। जिस पर काफी रकम खर्च करके कृषि भूमि को काफी उपजाऊ योग्य भूमि बनाया हैं, जिस पर वर्तमान में सौफ की फसल खडी है एवं विक्रय विलेख को निरस्त कराये बगैर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कारण पैदा नहीं होता है, बल्कि उक्त कृषि आराजी अप्रार्थी संख्या चार के स्वामित्व की है व खातेदार कृषक है एवं खातेदार कृषक के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या पांच की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया है कि उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 720 के सन्दर्भ में मौका अनुसार कब्रिस्तान के कब्जे शुदा भूमि मौजा काछौली के खसरा संख्या 720 कुल रकबा 0.6197 हेक्टेयर किस्म न.1 जो राजस्व जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 344 अनुसार खातेदार संगीता पति जयेश कुमार जाति पटेल सा. देह खातेदार के नाम खातेदारी भूमि दर्ज है। मौकानुसार रकबा 0.3035 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 724 कुल रकबा 0.9485 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, जो राजस्व जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 01 अनुसार राजकीय बिलानाम सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, में मौकानुसार रकबा 0.0759 हैक्टेयर भूमि कब्रिस्तान के कब्जेशुदा भूमि है। यह है कि मौका अनुसार प्रार्थी मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान की भूमि के दक्षिणी भूमि में परकोटा निर्मित किया हुआ है एवं उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी भुजा में मौके पर तारबंदी की हुई है एवं उपरोक्त कब्रिस्तान के कब्जेशुदा भूमि पर पूर्व के कई वर्षों पुरानी लगभग 15–20 कब्र बनी [illegible] कब्जे के रूप में पडत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:52:11 IST
Reason: SelfAttested

मैंने दोनो पक्षों की सु[illegible] एवं पत्रावली का भलिभांति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया [illegible] तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा काछौली पटवार हल्का काछौली, तहसील पिण्डवा[illegible] जिला सिरोही के खसरा नं. 720 रकबा 2.09 बीघा किस्म भूमि नहरी–1 आई हुई है जो सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा दिनांक 10.02.1983 अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता श्री भोमा पुत्र श्री चेनाजी पुरोहित निवासी काछौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के नाम आवंटन की

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

गई थी, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 202 के द्वारा आवंटित भूमि को श्री भोमा पुत्र श्री चेनाजी पुरोहित के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 329 दिनांक 14.09.1989 के द्वारा आंवटी श्री भोमा पुत्र श्री चेनाजी पुरोहित को खातेदारी दर्ज की गई। उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा संख्या 720 पर खातेदारी अधिकार मिलने के बाद श्री भोमा पुत्र श्री चेनाजी के द्वारा उक्त आराजी को अप्रार्थी संख्या तीन श्री छगनलाल को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान कर दिया। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या तीन श्री छगनलाल ने उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 720 की भूमि को अप्रार्थी संख्या चार श्रीमती संगीता पत्नि श्री जयेश कुमार पटेल को बेचान कर दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि पटवार हल्का काछौली एवं भू–अभिलेख निरीक्षक भावरी द्वारा तैयार की गई मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 16.07.2021 में यह स्पष्ट किया गया है कि खसरा संख्या 720 की भूमि में से 0.3035 हैक्टेयर भूमि एवं खसरा संख्या 724 की 0.0759 हैक्टेयर भूमि पर मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान का कब्जा है और यह तथ्य प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ताओं के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा संख्या 720 की कुछ भूमि पर कब्रिस्तान का कब्जा है, परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता ने ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थी का खसरा संख्या 720 की कुछ भूमि पर किस प्रकार से कब्जा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 720 की भूमि पर अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, जबकि राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आवंटन निरस्त नहीं करने का सिद्धान्त माननीय राजस्व मण्डल, राज. अजमेर द्वारा आरआरडी 1986 पेज 137 (एकल पीठ) **आरआरडी 1987** पेज 371 (वृहद पीठ) एवं 359 (एकल पीठ), **आरआरडी 1999** पेज 128 (माननीय उच्च न्यायालय) द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधित दृष्टांत आरआरटी 2008(2) पेज 834 **आरबीजे 2001** पेज 125, शंकरलाल बनाम सरकार, 1996 पेज 287 राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विधालय बनाम सरदारसिंह, 2001 पेज 593 बदरी बाई बनाम राजाराम, **आरआरडी 1999** पेज 128 दलपतसिंह बनाम राजस्व मण्डल, **आरआरटी 2007(2)** पेज 1240 सूरजमल बनाम सरकार, पेज 1430 राजस्थान सरकार बनाम भंवरलाल, **डीएनजे (राज.) 1997** पेज 632 गोपीराम बनाम सरकार, **एआईआर (एस.सी) 1994** पेज 1128 बृजलाल बनाम राजस्व मण्डल, **आरआरटी** 2004 पेज 352 परसु बनाम राजस्थान सरकार, 2007 पेज 18 मोहम्मद खान बनाम बृजलाल एवं 2006 पेज 424 राम खिलाडी बनाम दौलतराम प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त विधिक दृष्टांतो में विलम्ब से प्रस्तुत एवं खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के बाद राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत आवंटन निरस्त के प्रकरण खारिज किये गये है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत पर मनन किया, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एआईआर 1994 पेज 1128, आरबीजे 19[illegible] 780 में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। चूंकि प्रकरण में आंवटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नहीं किए जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र प्रथमदृष्टया परिपोषणीय प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:52:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पक्षकारान चाहे तो विधि में पारित नियमों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकते है।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:52:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner